



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 666036

किराया चिट्ठी का अनुबंध-लेख

NOTED AND REGISTERED

on Dt. - 8 APR 2022

At. Sr. No. 10348/2022

MANGO IT SOLUTIONS

पता : 15/3, ओल्ड पलासिया, शारदा हाउस के पीछे, इन्दौर (म.प्र.)

TATJANA MAILIN VANESSA TABEA

टतजाना मेलिन वेनेसा टाबिए M-9329624739, 9893024117

निवासी : 9304, रेजेन्स बर्ग, (जर्मनी) किराया चिट्ठी लिख देने वाले

प्रथमपक्ष/किरायेदार

श्री विजय शिन्दे पिता स्व.श्री शंकरलाल शिन्दे

निवासी : 101 (जयमाल) साकेत नगर,

इन्दौर (म.प्र.) मो.नं. 9303205650

किराया चिट्ठी लिखवा लेने वाले

"मालिक" (द्वितीयपक्ष)

यह किराया चिट्ठी का अनुबंध लिख देने वाला किरायेदार/प्रथमपक्ष आप संपत्ति मालिक/द्वितीयपक्ष के हित में निम्नानुसार लिख देता हूं कि :-

ATTESTED

V. Shinde

36-40
06 APR 2022

$$\frac{100}{5} = 500$$

Mango IT Solutions

राजधानी मेलिन वैक्का राजिवा

पता: 15/3 ओल्ड पल्लिकुल, शाकदा हिल्स ने पीछे

इन्दौर ए. जयप्रकाश मल्लिक

98924140176

(अनुमोदित)

अभिषेक ठाकुर
स्टॉक वेंडर
इन्दौर (म. प्र.)
(M) 8889041115
06 APR 2022





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

...2...

BT 666037

1. यह कि, द्वितीयपक्ष की मालकी व आधिपत्य का स्वतंत्र मकान 101, "जयमाल" साकेत नगर, इन्दौर (म.प्र.) पर स्थित है। सदर मकान की द्वितीयपक्ष पर स्थित दो रूम, किचन तथा लेटबाथ को द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को किराये पर दिया जा रहा है। उक्त स्थान द्वितीयपक्ष से दिनांक 06.04.2022 से निम्नानुसार शर्तों पर प्रथमपक्ष ने किराये से लिया है एवं आज दिनांक को इस लेख की शर्तों के आधीन लेखीवद्ध किया जा रहा है। आगे सुविधा की दृष्टि उक्त किरायेगत स्वतंत्र मकान को सदर संपत्ति शब्द से संबोधित किया गया है।
2. यह कि, प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से सदर संपत्ति को रूपये 12,000/- (अक्षरी रूपये बारह हजार मात्र) प्रतिमाह में किराये पर लिया है। उक्त सदर संपत्ति का इस माह का संपूर्ण किराया अग्रिम रूपये 12,000/- (अक्षरी रूपये बारह हजार मात्र) तथा एक माह की सिक्युरिटी डिपोजिट रूपये 12,000/- (अक्षरी रूपये बारह हजार मात्र) इस प्रकार कुल राशि 24,000/- (अक्षरी रूपये चौबीस हजार मात्र) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शाखा डी.एम.टॉवर्स, रेसकोर्स रोड, इन्दौर के चेक क्रमांक 003427 दिनांक 06.04.2022 द्वारा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को को अदा कर दिये है। सिक्युरिटी डिपोजिट के रूप में द्वितीयपक्ष के पास बिना ब्याज के जमा रहेंगे, जब प्रथमपक्ष सदर संपत्ति खाली कर द्वितीयपक्ष को सुपुर्द करेंगे, उस वक्त संपत्ति मालिक से डिपोजिट की राशि वापस प्राप्त करेंगे।
3. यह कि, सदर संपत्ति हमेशा साफ-सुथरा रखेंगे तथा इसमें किसी प्रकार की तोड़ फोड़ का कार्य, परिवर्तन नहीं करेंगे, जिससे भवन की दृढ़ता में किसी प्रकार की कमी अथवा आसपास वालों को कोई नुकसान न हो यदि कोई ऐसा कोई कृत्य प्रथमपक्ष द्वारा किया जाना पावे तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रथमपक्ष की रहेंगी।

अविरत..3..

ATTESTED

20/4/22



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

...3...

BT 666038

4. यह कि, उक्त किराये की राशि के अवाला बिजली का बिल, कचरे का बिल एवं अवंतिका गैस का बिल जो भी आवेगा उसका भुगतान प्रथमपक्ष द्वारा ही किया जावेगा यह राशि किराया राशि में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान विद्युत रिडिंग व गैस रिडिंग है। वर्तमान अथवा भविष्य में पानी हेतु टैंकर की व्यवस्था की जाने पर उसमें लगने वाला व्यय आनुपातिक व्यय किरायेदार द्वारा देय होगा।
5. यह कि, सदर संपत्ति को प्रथमपक्ष अन्य किसी को पोट भाड़े से नहीं देवेंगे यदि प्रथमपक्ष ने अन्य किसी को सदर संपत्ति पोट भाड़े पर दिया तो द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से सदर संपत्ति खाली करा लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
6. यह कि, सदर संपत्ति को प्रथमपक्ष आवासीय उपयोग हेतु किराये पर लिया है। सदर संपत्ति का प्रथमपक्ष अन्य किसी आशय हेतु उपयोग नहीं करेंगे।
7. यह कि, सदर संपत्ति प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से 11 माह की अवधि हेतु प्राप्त की है, 11 माह की समाप्ति पर सदर संपत्ति का रिक्त आधिपत्य द्वितीयपक्ष के संपूर्ण कर देवेंगे। 11 माह की अवधि पश्चात किराया राशि में 10(दस) प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी एवं नई किराया चिट्ठी बनवाई जावेगी। यह अधिकार मकान मालिक के पास ही रहेगा अन्यथा अवधि पश्चात् प्रथमपक्ष/किरायेदार द्वारा सदर संपत्ति खाली कर दी जावेगी।
8. यह कि, सदर संपत्ति का किराया प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को हर माह 01 से 05 तारीख तक नियमित रूप से द्वितीयपक्ष को अदा किया करेंगे। यदि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को एक माह का किराया अदा नहीं किया तथा प्रथमपक्ष द्वारा किराये की राशि चढ़ गई तो द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से सदर संपत्ति का रिक्त कब्जा/आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार होगा।

ATTESTED



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

...4...

BT 666039

9. यह कि, प्रथमपक्ष सदर संपत्ति में किसी प्रकार का अवैध व्यवसाय नहीं करेंगे, न ही किसी प्रकार की कानून से प्रतिबंधित वस्तु जैसे शराब, मादक द्रव्य, चरस, भांग आदि का व्यवसाय करेंगे न ही किसी ज्वलनशील पदार्थ द्रव्य आदि का संग्रह कर सकेंगे अन्यथा इसकी कुल जवाबदारी प्रथमपक्ष की रहेगी।
10. यह कि, सदर संपत्ति प्रथमपक्ष को खाली कराना हुआ तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को एक माह पूर्व लेखी में सूचना पत्र देकर सदर संपत्ति खाली कर देंगे। यदि प्रथमपक्ष ने बगैर सूचना पत्र दिये सदर संपत्ति खाली कर दिया तो द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से सूचना पत्र की अवधि का किराया प्राप्त करने का अधिकार रहेगा यदि संपत्ति मालिक/द्वितीयपक्ष को उक्त स्थान की आवश्यकता हुई तो एक माह पूर्व सूचना पत्र देकर सदर संपत्ति प्रथमपक्ष से रिक्त करवा सकेंगे।
11. यह कि, सदर संपत्ति की किरायेदारी की समाप्ति के समय प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष का सदर संपत्ति खाली कर उसका रिक्त कब्जा जिस अवस्था में द्वितीयपक्ष से प्राप्त किया है उसी अवस्था में द्वितीयपक्ष को वापस सौंप देंगे तथा द्वितीयपक्ष से चुकती पावती हासिल करेंगे साथ ही डिपॉजिट की राशि बगैर व्याज के उसी समय वापस प्राप्त करेंगे। यदि सदर संपत्ति खाली करते समय प्रथमपक्ष पर कोई किराया राशि लेना बकाया निकली या अन्य कोई बकाया, या टुट-फुट सामान कम या नुकसान रही तो वह समस्त राशि उक्त डिपॉजिट की राशि में से आप वसूल कर शेष राशि प्रथमपक्ष को वापस कर सकेंगे। इस संबंध में प्रथमपक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

ATTESTED

9/1/2020



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 666040

...5...

12. किरायेगत स्थान के रख रखाव की जवाबदारी किरायेदार प्रथमपक्ष की रहेगी सदर संपत्ति खाली करते समय प्रथमपक्ष सदर संपत्ति इसी स्थिति में द्वितीयपक्ष को सुपुर्द करेंगे।
13. उक्त किरायेदारी की जानकारी संबंधित थाने में संपत्ति मालिक द्वारा दे दी जावेगी। उक्त किरायेदारी में यदि कोई विवाद होता है तो न्यायालयीन क्षेत्र इन्दौर ही रहेगा। किरायेदार कभी भी, संपत्ति मालिक के स्वामित्व को चुनौती नहीं देंगे। एवं संपत्ति मालिक के द्वारा सुचना देने पर किरायेदार के द्वारा उक्त स्थान खाली नहीं किया जाता है तो संपत्ति मालिक को अधिकार होगा कि न्यायालयीन कानून के अन्तर्गत उक्त स्थान खाली करवा सकेंगे, जिसमें लगने वाले व्यय की जवाबदारी किरायेदार की रहेगी।
14. उक्त प्रिमाईसेस में चार पंखे, ... ट्युबलाईट, एक टेबल, एक डबलबेड, एक अलमीरा, एक ए.सी., एक गीजर इत्यादि द्वितीयपक्ष ने लगवाकर दिये हैं। उक्त किरायेगत स्थान जिस अवस्था में है उसी स्वच्छ अवस्था में रिक्त करते समय किरायेदार प्रथमपक्ष द्वारा मालिक द्वितीयपक्ष को सुपुर्द किया जावेगा यदि इनमें किसी प्रकार की टूट फुट होती है तो उसके नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष किरायेदार की होगी यदि कोई नुकसानी होती है तो उसकी भरपाई संपत्ति मालिक द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष की जमा सिक्क्युरिटी की डिपॉजिट राशि से काटकर की जावेगी। जिसमें किरायेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

ATTESTED

(Signature)

अतिरक्त 6

अतः यह किराया चिट्ठी का अनुबंध लेख प्रथमपक्ष ने राजी-खुशी से सोच समझकर लिख देकर स्वस्थ, शारीरिक व मानसिक अवस्था में गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किया सो सही ताकि प्रामाण रहे। वक्त जरूरत काम आवे।

इति, इन्दौर, दिनांक-

साक्षीगण :-

1. हस्ताक्षर.....

नाम :

पिता :

पता :

2. हस्ताक्षर.....

नाम :

पता :

पता :

पता :

पता :

पता :

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष/किरायेदार

.....

MANGO IT SOLUTIONS

TATJANA MAILIN VANESSA

TABEA

टतजाना मेलिन वेनेसा टाबिए

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष/संपत्ति मालिक

.....

श्री विजय शिन्दे



ATTESTED

SANJAY GAYKWAD
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA